हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
8-1-26	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उप. पत्रावली दिनांक वास्ते बहस आदेश 22-1-26 को पेश हो।
22-1-26	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक परिषद लाखेरी द्वारा ई फाइल के विरोध में ज्ञापन प्रस्तुत कर कार्य स्थगित रखा वास्ते सविक कार्यवाही पत्रावली दिनांक 11-2-26 को पेश हो।
11-2-26	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस समाप्त पत्रावली ~~[illegible]~~ गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 18-2-26 को पेश हो।
18-2-26	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित आदेश सुनाया गया वादी का वाद प्रस्तुत राजीनामानुसार स्वीकार कर आदेश डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

पीठासीन अधिकारी
श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी(RAS)

23/दावा/2023
दायरा दिनांक 16.05.2023

बउनवान

1. गोरधन आ0 मोरपाल जाति मीणा निवासी ग्राम नयांगाव तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0। –वादी

बनाम

1. शोभाग आ0 मुकन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम नयांगाव तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
2. चिरंजी आ0 मुकन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम नयांगाव तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
3. स्वरूपी पुत्री मुकन्दा पत्नी प्रदान जाति मीणा निवासी ग्राम नयांगाव तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
4. काली बाई पत्नी मुकन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम नयांगाव तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
5. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0। –प्रतिवादगण

बनाम
वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,53 रा0टी0एक्ट

दिनांकः– 18.02.2026

निर्णय

वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 रा0टी0 एक्ट के तहत् वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 232 रकबा 0.17 हैक्टर, ख0सं0 241 रकबा 0.14 हैक्टर, ख0सं0 297/1 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता3 योग रकबा 0.51 हैक्टर वाके ग्राम नयांगाव पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। जिसके राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में मोजीराम आ0 मोरपाल हिस्सा पूर्ण जाति मीणा अंकित है वाद वर्णित कृषि भूमि के खातेदार मोजीराम की मृत्यु दिनांक 05.08.2017 हो चुकी है मोजीराम की मृत्यु लाओलाद हुई है उसके उतराधिकारी के रूप में पुत्र,पुत्री वर्तमान में मौजूद नही है एंव उनके मृत्यु के बाद उनके लीगल हैयर्स कानूनी रूप से उनका भाई वादी गोरधन व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता मुकन्दा थे मुकन्दा की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 वर्तमान में मौजूद है जिनको वाद मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को आवश्यक रूप से पक्षकार बनाया गया है। वाद में उक्त वर्णित कृषि भूमि मृतक मौजीराम की मृत्यु के बाद वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 ने बहामी रजामन्दी से अलग–अलग खसरा नम्बरो पर काबिज काश्त है वह उसी अनुसार पारिवारिक बंटवारे के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को आपस में सहखातेदार घोषित करवाकर विधिवत उक्त कृषि भूमि का बंटवारा करवावें। बहामी बंटवारे के मुताबिक वादी का कब्जा काश्त खसरा संख्या 232 रकबा 0.17 हैक्टर में से 0.11 हैक्टर, ख0सं0 241 रकबा 0.14 कुल किता 2 योग रकबा 0.25 हैक्टर पर व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 का ख0सं0 297/1 रकबा 0.20 हैक्टर व ख0सं0 232 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 2 योग रकबा 0.26 हैक्टर पर चला आ रहा है एंव उसी रकबे पर वादी प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित करवाकर कानूनी बंटवारा करवाना चाहते है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1,2,4,5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से दिनांक 14.05.2024 को उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एंव दिनांक 18.06.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की तरफ से जर्ये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र आदेश–9 नियम 7 जा0दी0 पेश किया गया वादी अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति देते हुए कथन किया कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के मध्य राजीनामा हो गया है वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता न्यायालय हाजा में उपस्थित है लिखित राजीनामा पेश किया गया तत्पश्चात राजीनामा तस्दीक किया गया। प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद वर्णित कृषि भूमि मोजीराम आ0 मोरपाल के खाते में दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। मोजीराम आ0 मोरपाल लाओलाद दिनांक 05.08.2017 को मृत्यु हो चुकी है। मृतक मोजीराम आ0 मोरपाल के कोई वारिसान नही होने से उसके लीगल हियर्स कानूनी रूप से उनके भाई वादी गोरधन व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता मृतक मुकन्दा थे। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 मृतक मुकन्दा के वारिसानो ने बहामी रजामंदी से अलग–अलग खसरो पर काबिज काश्त है उसी अनुरूप वादी व प्रतिवादी 1 लगायत 4 को खातेदार घोषित करवाकर बहामी बंटवारे के मुताबिक बंटवारा किया जावें।

हमारे द्वारा पत्रावली एंव पत्रावली पर पूर्व से प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 232 रकबा 0.17 हैक्टर, ख0सं0 241 रकबा 0.14 हैक्टर, ख0सं0 297/1 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता3 योग रकबा 0.51 हैक्टर वाके ग्राम नयांगाव पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड के मुताबिक मोजीराम आ0 मोरपाल के खाते में दर्ज होना पाया जाता है। मोजीराम आ0 मोरपाल लाओलाद फौत होने एंव कोई वारिसान/संतान नही होने से मृतक मोजीराम आ0 मोरपाल के लीगल वारिसानो में उसके सगे भाई गोरधन व मृतक मुकन्दा के वारिसान 1 लगायत 4 है जिसकी तस्दीक खातेदार मोजीराम आ0 मोरपाल द्वारा दिनांक 27.05. 2013 को अपने भाई गोरधन आ0 मोरपाल के पक्ष में किए गए रजिस्टर्ड दान से होती है।

अतः वादी एंव प्रतिवादी के मध्य हुआ राजीनामा के अनुसार वाद पत्र स्वीकार किया जाता है वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 232 रकबा 0.17 हैक्टर, ख0सं0 241 रकबा 0.14 हैक्टर, ख0सं0 297/1 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता 3 योग रकबा 0.51 हैक्टर वाके ग्राम नयांगाव पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी स्थित कृषि भूमि पर वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा बहामी बंटवारा अनुसार ख0सं0 241 रकबा 0.14 हैक्टर, ख0सं0 232 रकबा 0.17 हैक्टर मे से 0.11 हैक्टर पश्चिम की तरफ किता 2 योग रकबा 0.25 हैक्टर वादी के हिस्से में रहेगी तथा ख0सं0 297/1 रकबा 0.20 हैक्टर, ख0स0 232 रकबा 0.17 हैक्टर में से 0.06 हैक्टर पूर्व की तरफ किता 2 योग रकबा 0.26 हैक्टर प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के हिस्से में रहेगी।इसी अनुरूप खसरो की तरमीम की जावें। उक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी बून्दी

Scanned with OKEN Scanner

(O 20, R 6,7)

(Civil Procedure Code, Appendix D)

मुकाम.............लाखेरी.............

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी..

व इजलास........श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी (आर0ए0एस)..

1. गोरधन आ0 मोरपाल जाति मीणा निवासी ग्राम नयांगाव तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

—वादी

बनाम

1. शोभाग आ0 मुकन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम नयांगाव तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

—प्रतिवादीगण

क्रमशः पुस्त पर

वाद बाबत 88,89,189 व 53

सन् ....

मुकदमा नम्बर ....23 / दावा / 2023.........................

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... हमारे.................. व हाजिरी .... श्री बालकिशन रायका,....... मिनजानिब मुद्दई रूबरू......................... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती कि—

वादी एंव प्रतिवादी के मध्य हुआ राजीनामा के अनुसार वाद पत्र स्वीकार किया जाता है वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 232 रकबा 0.17 हैक्टर, ख0सं0 241 रकबा 0.14 हैक्टर, ख0सं0 297 / 1 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता 3 योग रकबा 0.51 हैक्टर वाके ग्राम नयांगाव पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी स्थित कृषि भूमि पर वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा बहामी बंटवारा अनुसार ख0सं0 241 रकबा 0.14 हैक्टर, ख0सं0 232 रकबा 0.17 हैक्टर मे से 0.11 हैक्टर पश्चिम की तरफ किता 2 योग रकबा 0.25 हैक्टर वादी के हिस्से में रहेगी तथा ख0सं0 297 / 1 रकबा 0.20 हैक्टर, ख0स0 232 रकबा 0.17 हैक्टर में से 0.06 हैक्टर पूर्व की तरफ किता 2 योग रकबा 0.26 हैक्टर प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के हिस्से में रहेगी। इसी अनुरूप खसरो की तरमीम की जावें।

निज.......................................मुबलिग...बाबत..खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 02 सन् 2026 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

दस्तखत

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Scanned with OKEN Scanner